

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 865 सन 2020

अनवान :-

1. भागीरथ पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र केवलाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. सावित्री पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. इन्द्रा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. पुष्पा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. सन्दीप कुमार थौरी पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
9. रोहिताश पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. अनिता पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
11. ममता पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
12. रिषी कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
13. तारामणी पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
14. रेणु पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
15. मन्जू पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज


निर्णय दिनांक :- 01/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 85/63 की कुल 6.4010 हैक व खाता संख्या 86/0 की 0.1760 हैक में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 बाराणी के खाता संख्या 700/565 की कुल 0.8850 है भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा केवलाराम वल्द नोपाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा केवलाराम वल्द नोपाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा केवलाराम वल्द नोपाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 ,10 ,11 ,13 ता 15 वादी की बहने है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,10 ,11 ,13 ता 15 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,10 ,11 ,13 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,8 ,9 ,12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,8 ,9 ,12 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,8 ,9 ,12 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता केवलाराम वल्द नोपाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 ,10 ,11 ,13 ता 15 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,8 ,9 ,12 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,8 ,9 ,12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,8 ,9 ,12 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 16 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 85/63 की कुल 6.4010 हैक व खाता संख्या 86/0 की 0.1760 हैक में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 700/565 की कुल 0.8850 है भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा केवलाराम वल्द नोपाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा केवलाराम वल्द नोपाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा केवलाराम वल्द नोपाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 ,10 ,11 ,13 ता 15 वादी की बहने है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,10 ,11 ,13 ता 15 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,10 ,11 ,13 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,8 ,9 ,12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,8 ,9 ,12 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा

अधिकारी
नोहर

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 85/63 की कुल 6.4010हैक् व खाता संख्या 86/0 की 0.1760हैक् में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 700/565 की कुल 0.8850है भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि कवेलाराम वल्द नोपाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा कवेलाराम वल्द नोपाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा कवेलाराम वल्द नोपाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1,3 ता 7,10,11,13 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1,3 ता 7,10,11,13 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,8,9,12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1,3 ता 7,10,11,13 ता 15 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 85/63 की कुल 6.4010हैक् व खाता संख्या 86/0 की 0.1760हैक् में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 700/565 की कुल 0.8850है तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 8,9 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 12 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाक्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड उच्च न्यायालय (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भागीरथ पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र केवलाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. सावित्री पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. इन्द्रा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. पुष्पा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. सन्दीप कुमार थौरी पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
9. रोहिताश पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. अनिता पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
11. ममता पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
12. रिषी कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
13. तारामणी पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
14. रेणु पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
15. मन्जू पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 865 सन 2020 निर्णय दिनांक- 01/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवपुरा के खाता संख्या 85/63 की कुल 6.4010 है व खाता संख्या 86/0 की 0.1760 है में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 700/565 की कुल 0.8850 है तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 8,9 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 12 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)